

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/हजारीबाग/मेदिनीनगर/यांत्रिक/अग्रिम योजना, संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता सह संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड राँची।

राँची, दिनांक- 22-2-13

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	-134.631

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक रुपये एक करोड़ चौतीस लाख तीरसठ हजार एक सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध ₹ 5631.15 लाख एवं प्रथम अनुपूरक (वित्त विभाग का पत्रांक 11/बी० टी० ई०- 04/2012/310/बजट दिनांक 17.09.12) से प्राप्त राशि ₹ 36.45 लाख सहित कुल ₹ 5667.60 लाख (छप्पन करोड़ सड़सठ लाख साठ हजार) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(एस०के०सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य के साथ अधियाचना प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन एवं भत्ता को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दें।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

202

रॉची, दिनांक :- 22-2-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/ मेदिनीनगर/ गढ़वा/हजारीबाग/चाईबासा/गिरिडीह/ जमशेदपुर/लातेहार/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

202

रॉची, दिनांक :- 22-2-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-बाणिज्यिक

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागापुर एवं संधाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक. 202 दिनांक. 22-2-13 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2012-2013	वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										वित्तुल शीर्ष-02-प्रवास व्यय										वित्तुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाडिया अलग व्यय		वित्तुल शीर्ष-07-अलग व्यय		राशि लाख रुपये में	अभिवृष्टि
		कार्यालय का नाम	वेतन	जी० मास	योग	15.11.2000 के पूर्व का प्रकाश	एल०डी०सी०	प्रवास व्यय	कार्यालय व्यय	किराया, दर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	घर	वित्तुल व्यय	मोटरगाडिया खपत एवं	अलग व्यय	विविध प्रकार	कुल योग																			
1	2	वित्तुल कोड	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																		
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.000 0.000	0.000 0.100	1.000 0.200	0.000 0.000	0.000 0.000	32.800 -14.310																			
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, इलाहाबाद	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.400	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.100	1.000 0.000	0.000 0.000	18.490																			
3	औरंगा निमोन अवतल, मेदिनीनगर	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	65.486 25.200																			
4	कदवन बांध अवतल, गढ़वा	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	92.291 10.250																			
5	जलपथ अवतल, गढ़वा	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	58.533 0.100																			
6	रूपकण आयोजन एवं मोनि० अवतल, मेदिनीनगर	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	85.521 0.400																			
7	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	23.250 1.450																			
8	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	122.986 -7.800																			
9	आयोजन एवं मोनि० प्रमंडल, मेदिनीनगर	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	92.665 72.130																			
10	औरंगा निमोन प्रमंडल, पाली पलामू	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	164.795																			
11	कदवन बांध प्रमंडल, नगर छंटारी गढ़वा	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	48N270103001 060101	48N27010300 1060101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.800 0.000	0.800 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	133.375 0.400																			
																		129.801																			

(पुरेय प्रसाद भाग)

सहायक अभियंता

(सुदीप कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभिनो)

(बी० सी० निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

वित्तीय वर्ष 2012-2013			वित्तुत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते										वित्तुत शीर्ष-02-प्रशासनिक व्यय										वित्तुत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										वित्तुत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां										वित्तुत शीर्ष-07-मोटर गाड़ियां										राशि लाख रुपये में																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वित्तुत कोड	वेतन	जी० यापन भत्ता	योग	15.11.2000 के पूर्व का वेतन	एल०टी०सी०	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	वर्ग	व

(सुरेश प्रसाद भार्गव)
सहायक अभियंता

(सुरेश कुमार सिन्हा)
सहायक सचिव (अभिनो)

(बी० सी० मिश्र)
विशेष सचिव

(एस० के० शर्मा)
प्रधान सचिव

202-2013

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/पावस-14/2010-50/बजट दि० 21.02.11 के आलोक में विद्युत भद में दिन-रंक 31.08.2010 तक का बकाया शुभ्य मानते हुए नये सिरे से विपरीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है

over

(एसओ के० शातापथी)
प्रधान सचिव

$$\frac{202}{22-2013}$$